

रिपोर्ट पर्यारी हल्का/आई0एल0आर0
 पत्र के माध्यम से जाना जा रहा है। जिसके अनुसार श्रीशाराम मु. सोना जाति का नाम दुरुस्त किया जाना उचित नहीं है। आदेशक का नाम दुरुस्त किया जाने की निर्णय की जाती है।

29/10/21
 25-10-21
 19/10/21

गायबालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
 सहायक कलक्टर, उदयपुरवाटी (सुदूर)

क्रमांक :- राजस्व/2020/

दिनांक :-

भूल ही उपखण्ड अधिकारी सहोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निर्णय है कि आवेदन पत्र में वर्णित अनुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित नहीं है। आदेशक का नाम दुरुस्त किया जाने की निर्णय की जाती है।

779
 21

29/10/21
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी, गुढागौडजी

गायबालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 29/10/21

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	सावली	2075-78	282	श्रीशाराम मु. सोना जाति	श्रीशाराम मु. सोना जाति गुजर

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 561-502
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वारते पालनार्थ।
2. प्राथी/प्राथीयाको सूचनार्थ।

29/10/21
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 29/10/21



29/10/21
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी